## न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट [प्रथम श्रेणी]बिसौली बदायूँ

परिवाद सं०–1220/2016

श्रीमती रानी बनाम मेहसर आदि

**दिनाँक–27–11–2016**

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को अभियुक्तगण के तलवी के प्रश्न पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि परिवादिनी एक विधवा महिला है। परिवादिनी के पति कपडे का कारोबार करते थे, जिनकी अब से दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी। परिवादिनी ने महिला होने के कारण व्यवहार नही कर सकी तथा परिवादिनी ने सारे कपडे बेच दिये, जिससे परिवादिनी पर काफी पैसा आ गया । अब से डेढ वर्ष पूर्व परिवादिनी के जेठ मेहसर व देवर आरिफ ने चालीस हजार रूपये तथा बीस हजार रूपये कारोबार के लिए उधार ले लिए तथा छः माह में पैसे चुकाने का वादा किया था। छः माह गुजरने केबाद तकाजा किया तो जेठ व देवर ने कुछ समय बाद पैसे देने का वादा कर दिया, किन्तु दो साल बाद भी जेठ व देवर ने पैसा नही किया तथा टाल–मटोल करते रहे तथा धोखाखडी करके मुल्जिमान ने परिवादिनी के साथ अमानत में खयानत कर दी। दि० १९.०५.२०१६ को समय ५.०० बजे परिवादिनी ने पंचायत के लिए अपने भाइयों भूरे पुत्र मुनब्बर तथा इकरार पुत्र अब्दुल हमीद को पंचायत के लिए बुलाया तथा जेठ मेहसर, देवर आरिफ ने परिवादी के रूपये देने से मना कर दिया तथा गन्दी–गन्दी गालियाँ दी तथा लात–घूंसों से मारा–पीटा तथा बचाये जाने पर जान से मारने की धमकी दी। परिवादिनी ने थाने पर रिपोर्ट लिखानी चाही, लेकिन रिपोर्ट नही लिखी गयी। थाने पर कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद दायर किया गया है।

परिवादी की तरफ से धारा–२०० दं० प्र० सं० के अन्तर्गत स्वयं को व धारा–२०२ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत पी० डब्लू०–१ इकरार, पी० डब्लू०–२ भूरे के बयान लेखवद्ध किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनो व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रूप से विपक्षीगण **मेहसर,आरिफ, ताहिर,श्रीमती फिरदोश, मुमताज व अच्छन** के विरूद्ध धारा–**323,504,506 भा० दं० सं०** के अन्तर्गत अभियोग विचारण हेतु मामला बनता प्रतीत होता है तथा उपरोक्तानुसार विपक्षी तलव किये जाने योग्य है।

**आदेश**

विपक्षीगण **मेहसर,आरिफ,ताहिर,श्रीमती फिरदोश, मुमताज व अच्छन** को **धारा– 323,504,506 भा० दं० सं०** के अन्तर्गत अभियोग विचारण हेतु दिनाँक–23–12–2016 के लिए वास्ते हाजिरी तलव किये जायें। परिवादी आवश्यक पैरवी नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

(कु० शाम्भवी यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट [प्रथम श्रेणी]बिसौली
जनपद–बदायूँ।